न्यायालय :: श्रीमती सीता कनोजे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.)

:: आपराधिक कार्य विभाजन आदेश ::

कमांक :...../स्टेनो/2023 **बड़वानी, दिनांक 11.01.2023**

मैं श्रीमती सीता कनोजे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य उचित रूप से कार्य वितरण/सम्पादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्य विभाजन आदेशों (समस्त संशोधन सहित) को अधिष्ठित करते हुए दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–14(2), 15(2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रावधान के तहत् माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.) के अनुमोदन उपरांत बड़वानी जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक कार्य का विभाजन नीचे लिखे अनुसार आबंटन करती हूँ, जो दिनांक **11 जनवरी, 2023** से अन्य आदेश होने तक निरन्तर प्रभावशील रहेगा :–

क्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	सौंपा गया आपराधिक कार्य
01	02	03	04
01.	**श्रीमती सीता कनोजे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी, जिला बड़वानी(म.प्र.)**	1. सम्पूर्ण राजस्व जिला	1. बड़वानी जिले के सभी क्षमा प्राप्त अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण। 2. क्राइम ब्रांच, सी.आई.डी., सायबर ब्रांच एवं अन्य समस्त जांच एजेन्सियां, जिनका इस आदेश में उल्लेख नहीं है, के द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रतिवेदन (चालान, खात्मा, खारजा) । 3. मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के प्रकरण। 4. स्मगलिंग एक्ट के प्रकरण। 5. बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 6. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रकरण । 7. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, नाप–तौल अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण । 8. जिले के समस्त थानों से संबंधित ई.आर. (खारिजी) 9. अन्य सभी आपराधिक प्रकरण, जिनका वर्णन इस पत्रक में न हो।
		2. आबकारी वृत्त बड़वानी	समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3. आरक्षी केंद्र, बड़वानी एवं यातायात पुलिस थाना बड़वानी	1. ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर आरक्षी केन्द्र बड़वानी से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. यातायात थाना बड़वानी के क्षेत्राधिकार सें उद्भूत आपराधिक प्रकरण।
		4. आर.टी.ओ, बड़वानी	बड़वानी राजस्व जिले से संबंधित रीज़नल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, बड़वानी की ओर से प्रस्तुत समस्त इस्तगासा प्रकरण।
		5. कृषि उपज मण्डी,	कृषि उपज मण्डी, बड़वानी के क्षेत्राधिकार से

		बड़वानी	उद्भूत कृषि उपज मण्डी अधिनियम के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
		6.नगर पालिका परिषद् बड़वानी	नगर पालिका परिषद, बड़वानी से उद्भूत होने वाले समस्त नगर पालिका अधिनियम के इस्तगासा प्रकरण।
		7. वन, खान, खनिज अधिनियम	आरक्षी केन्द्र बडवानी, पाटी एवं सिलावद क्षेत्र के वन, खान एवं खनिज अधिनियम से उत्पन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
02.	**श्री विनय कुमार जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र सिलावद	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र सिलावद से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी, ग्राम न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय का है), मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत वे प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है। 2. उक्त थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न होने वाले धारा–138 परक्राम्य लिखत अधि. के परिवाद। 3. विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे सबंधित कार्यवाही। 4. उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से सबंधित प्रकरण। 5. उक्त था ना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
03.	**श्री रौनक पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र पाटी	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र पाटी से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी, ग्राम न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय का है), मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत वे प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है। 2. विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे सबंधित कार्यवाही। 3. उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से सबंधित प्रकरण। 4. उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
		आरक्षी केन्द्र बडवानी एवं पाटी	6. आरक्षी केन्द्र बड़वानी व पाटी के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उत्पन्न होने वाले धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले सभी परिवाद एवं अन्य निजी परिवाद–पत्र।
		संपूर्ण तहसील बडवानी के अंतर्गत आने वाले	1. सम्पूर्ण तहसील बड़वानी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से

		थाना क्षेत्र(आरक्षी केन्द्र बड़वानी, सिलावद एवं पाटी)	संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सम्पूर्ण तहसील बड़वानी के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (ग्राम न्यायालय के सुनवाई योग्य मामलों को छोड़कर)। 3. (नगर पालिका क्षेत्र बड़वानी/कुटुम्ब न्यायालय बड़वानी के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) आरक्षी केन्द्र बड़वानी, सिलावद एवं पाटी के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा–125, 126, 127 द.प्र.सं. के समस्त प्रकरण।
04.	**श्री पंकज सविता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र अंजड़	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र अंजड़ से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, विविध आपराधिक प्रकरण व उनसे संबधित कार्यवाही, निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी, ग्राम न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय का है),म.प्र. आबकारी अधि.के अंतर्गत उद्भूत वे प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है।
		आरक्षी केन्द्र अंजड़ एवं ठीकरी	2. आरक्षी केन्द्र अंजड़ एवं ठीकरी क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले सभी परिवाद। 3. आरक्षी केन्द्र अंजड़, ठीकरी के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले वन, खान एवं खनिज अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
		आबकारी वृत्त अंजड़	म.प्र. आबकारी अधिनियम के अतंर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है।
05.	**श्री नीरज कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र ठीकरी	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र ठीकरी से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, विविध आपराधिक प्रकरण व उनसे संबधित कार्यवाही, निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी, ग्राम न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय का है), मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत वे प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा

			समय–समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
		आरक्षी केन्द्र अंजड़ एवं ठीकरी	3. आरक्षी केन्द्र ठीकरी एवं अंजड़ से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद–पत्र, खात्मा संबंधी कार्यवाहियॉ। 4. आरक्षी केन्द्र अंजड़ एवं ठीकरी क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होनेवाले धारा–125, 126, 127 द.प्रं.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उक्त उपबंधों के तहत स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व के सभी रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के संबंध में कार्यवाहियॉ। 5. आरक्षी केन्द्र अंजड़ एवं ठीकरी क्षेत्रांतर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के सभी प्रकरण एवं उक्त उपबंध अनुसार स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व के रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के संबंध में कार्यवाहियॉ।
06.	**श्रीमती स्मृति पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र राजपुर, नागलवाड़ी, जुलवानिया एवं पलसुद	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र राजपुर, नागलवाड़ी, जुलवानिया एवं पलसुद से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, विविध आपराधिक प्रकरण व उनसे संबधित कार्यवाही, निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी, ग्राम न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय का है), म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत वे प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है। 2. आरक्षी केन्द्र राजपुर, नागलवाड़ी, जुलवानिया एवं पलसुद के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत वन, खान एवं खनिज अधिनियम के समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र राजपुर, नागलवाड़ी, जुलवानिया एवं पलसुद के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले सभी परिवाद । 4. आरक्षी केन्द्र राजपुर, नागलवाड़ी, जुलवानिया एवं पलसुद के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले धारा–125, 126, 127 द.प्रं.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उक्त उपबंधों के तहत स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व के सभी रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के संबंध में कार्यवाहियॉ। 5. आरक्षी केन्द्र राजपुर, नागलवाड़ी, जुलवानिया एवं पलसुद के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उक्त उपबंध अनुसार स्वयं के न्यायालय द्वारा एवं रिक्त

			न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में सभी निष्पादन कार्यवाहियॉ। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
		आबकारी वृत्त राजपुर	7. म.प्र. आबकारी अधिनियम के अतंर्गत प्रस्तुत होनेवाले समस्त आपराधिक प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है।
07.	**श्री संजोगसिंह वाघेला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेंधवा, जिला बड़वानी(म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर एवं सेंधवा ग्रामीण	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, विविध आपराधिक प्रकरण व उनसे संबधित कार्यवाही, निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी, ग्राम न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय का है), म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर एवं सेंधवा ग्रामीण के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होनेवाले धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले सभी परिवाद ।
		आबकारी वृत्त सेंधवा	3. म.प्र. आबकारी अधिनियम के अतंर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है।
		आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण एवं वरला	4. आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण एवं वरला के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत वन, खान एवं खनिज अधिनियम के समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी द्वारा समय –समय पर अंतरित किये गये प्रकरण
08.	**सुश्री नगीना मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेंधवा, जिला बड़वानी(म.प्र.**	आरक्षी केन्द्र वरला	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र वरला से उद्भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, विविध आपराधिक प्रकरण व उनसे संबधित कार्यवाही,निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी, ग्राम न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय का है), म.प्र. आबकारी अधिनियम के अतंर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है। 2. आरक्षी केन्द्र वरला के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत होनेवाले धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले सभी परिवाद। 3. आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण एवं

			वरला के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्‌भूत होनेवाले धारा– 125, 126, 127 द.प्रं.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उक्त उपबंधों के तहत स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व के सभी रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के संबंध में कार्यवाहियॉ। 4. आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण एवं वरला के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्‌भूत होनेवाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उक्त उपबंध अनुसार स्वयं के न्यायालय द्वारा एवं रिक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में सभी निष्पादन कार्यवाहियॉ। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
09.	**श्री अजय उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया, जिला बड़वानी (म.प्र.)**	आरक्षी केन्द्र खेतिया, निवाली एवं पानसेमल	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर आरक्षी केन्द्र खेतिया, निवाली एवं पानसेमल से उद्‌भूत सभी अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत चालान, विविध आपराधिक प्रकरण व उनसे संबधित कार्यवाही, निजी परिवाद पत्र, खात्मा (उन प्रकरणों को छोड़कर, जिनका विचारण क्षेत्राधिकार रेल्वे मजिस्ट्रेट खण्डवा, किशोर न्यायालय बड़वानी, ग्राम न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय का है), म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्‌भूत समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र खेतिया, निवाली एवं पानसेमल के क्षेत्रांतर्गत उद्‌भूत वन, खान एवं खनिज अधिनियम के समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र खेतिया, निवाली एवं पानसेमल के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्‌भूत होनेवाले धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले सभी परिवाद। 4. आरक्षी केन्द्र खेतिया, निवाली एवं पानसेमल के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्‌भूत होनेवाले धारा–125, 126, 127 द.प्रं.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उक्त उपबंधों के तहत स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व के सभी रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के संबंध में कार्यवाहियॉ। 5. आरक्षी केन्द्र खेतिया, निवाली एवं पानसेमल के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्‌भूत होनेवाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उक्त उपबंध अनुसार स्वयं के न्यायालय द्वारा एवं रिक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में सभी निष्पादन कार्यवाहियॉ। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये प्रकरण

		आबकारी वृत्त खेतिया	म.प्र. आबकारी अधिनियम के अतंर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, जिनमें जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक नहीं है।

टीप एवं आवश्यक निर्देश :–

1. इस कार्य विभाजन आदेश से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।

2. इस कार्य विभाजन–पत्रक के साथ सत्र खण्ड बड़वानी के न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की अनुपलब्धता पर संबंधित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट आपराधिक आवश्यक कार्य को सम्पादित करेंगे तथा संलग्न अनुसूची क्रमांक–**बी** में वर्णित अनुसार मजिस्ट्रेट धारा–164 दं.प्र.सं. अंतर्गत कथन लिपिबद्ध करेंगे।

3. आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य पुलिस रिमाण्ड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य धारा–436 एवं 437 द.प्र.सं. के तहत जमानत आवेदन, धारा–451, 457 द.प्र.सं. के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन, हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं अति आवश्यक साक्षी, जो अत्यधिक दूरी से उपस्थित हुआ हो तथा उसका पुनः सरलता से उपस्थित होना सम्भव न हो, का साक्ष्य अभिलिखित करना आदि है। आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण प्रकिया द्वारा निपटाये जाने वाले ऐसे आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करता है। <u>जो न्यायिक मजिस्ट्रेट समरी पावर से सशक्त हैं, वह ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे।</u>

4. किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश के दौरान उनके न्यायालय के अण्डर–ट्रायल/ 05 वर्ष अथवा अधिक पुराने प्रकरणों में दूरस्थ जिले या अन्य राज्य से उपस्थित होनेवाले अनुसंधानकर्ता अधिकारी/चिकित्सक साक्षी अथवा वृद्ध, बीमार या पुनः उपस्थित हो सकने में असमर्थ या अत्याधिक दूरी से आने वाले या सेवा शर्तों के कारण अवकाश न मिलने या उसकी पुनः उपस्थिति अत्यंत कष्टकारी, व्ययकारी या असुविधाजनक होने की स्थिति वाले ऐसे साक्षियों की साक्ष्य संबंधित प्रभार में होने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित की जावेगी तथा इस कार्य हेतु ऐसे प्रकरण संबंधित प्रभारी मजिस्ट्रेट को विधिवत् अंतरित किये गये समझे जाएंगे।

5. धारा–167 (2) द.प्र.सं. के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करने संबंधी आदेश की प्रतिलिपि तत्काल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी की ओर <u>आवश्यक रूप</u> से भेजी जावे।

6. माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में सार्वजनिक अवकाश दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही विधिवत करेंगे।

7. बड़वानी जिला स्थापना में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी के अवकाश पर रहने के दौरान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायालय, बड़वानी अपने कार्य के साथ–साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के न्यायालय के समस्त आवश्यक न्यायालयीन कार्य भी सम्पादित करेंगे।

8. किसी रिक्त न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक रिकार्ड या आदेश प्राप्त होने पर माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी, जिसकी इस कार्य विभाजन आदेशानुसार क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केंद्र आता है, जिससे वह मामला उद्भूत हुआ या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है । यदि वह पीठासीन अधिकारी अर्थात न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ है, तब माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेगी। इसी प्रकार, धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामलों में भी संबंधित आरक्षी केंद्र/थाना क्षेत्राधिकारिता के आधार पर कार्यवाही संपादित की जायेगी।

9. ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, के द्वारा जारी गैर म्यादी वारंट/गिरफ्तारी वारंट का निराकरण या समर्पण संबंधी आवेदन का निराकरण उसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, जिसके समक्ष उस गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण लंबित है । यदि प्रकरण अभिलेखागार में है, तब ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा, जिसे संबंधित थाने (जिस थाना क्षेत्र का मामला है) का क्षेत्राधिकार इस आदेश के अनुसार आवंटित है। रिक्त न्यायालय के धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबधित गैर मियादी

वारण्ट की तामीली की दशा में संबंधित थाना क्षेत्र के आधार पर अर्थात् जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट को वर्तमान में क्षेत्राधिकारिता आवंटित की गई है, उन्हीं के द्वारा उसमें विधिवत कार्यवाही की जावेगी। यदि स्थायी गिरफतारी वारंट जारी करने वाला न्यायालय अस्तित्व में है, तब उससे संबंधित समस्त कार्यवाही उसी न्यायालय द्वारा की जायेगी।

10. आपराधिक प्रकरणों में जब्तशुदा वाहन की सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट या अन्य दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियॉ सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाकर उक्त मामले में अभियोग–पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावें। अन्य संपत्ति के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां भी सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न कर पत्रावली अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जाय ।

11. ग्राम न्यायालय अधिनियम के प्रावधानानुसार कार्यरत ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जाएंगे। ग्राम न्यायालय रिक्त होने की दशा में उस न्यायालय का प्रभार उस मुख्यालय पर उपस्थित कनिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पास रहेगा। कनिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की भी अनुपस्थिति की दशा में यह प्रभार सूची ''ए'' अनुसार रहेगा।

12. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिन्हें समरी पावर प्राप्त हैं, वह माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी को पूर्व सूचना प्रेषित कर अपने अधिकारक्षेत्र के आरक्षी केंद्र के सीमा क्षेत्र में माह में न्यूनतम एक बार आवश्यक रूप से नियमानुसार चलित न्यायालय लगा सकेंगे । चलित न्यायालय संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रकरणों के लिये इस प्रकार लगाया जावे, जिससे कि न्यायालय का नियमित कार्य का संपादन प्रभावित न हो।

13. लंबित रिमांड पेपर्स से संबंधित अभियोग–पत्र उसी न्यायालयों में पेश किये जायेंगे, जिसके पास उपरोक्त कार्य विभाजन–पत्रक से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकार दिया गया है । जब तक पृथक से कोई आदेश न हो, ऐसे रिमाण्ड पेपर्स संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित माने जावेंगे।

14. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति प्राप्त होने उपरांत ही मुख्यालय से प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी दूरभाष के माध्यम से देंगे तथा अत्यावश्यक होने पर ई–मेल, फैक्स आदि से आवेदन प्रेषित करेंगे।

15. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण इस कार्य विभाजन पत्रक से प्रभावित नहीं रहेंगे।

16. द.प्र.सं. की धारा–176 (1–क) के अंतर्गत मृत्यु के कारण की जांच संलग्न सूची अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा मृत्यु सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद प्रारंभ की जायेगी।

18. मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी न्यायालय का कोई भी प्रकरण, परिवाद व आवेदन किसी भी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय में अंतरित या सुपुर्द किया जा सकेगा।

19. इस कार्य विभाजन–पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद, विविध प्रकरणों व आवेदनों पर नहीं पड़ेगा, जो संबंधित न्यायालय में पूर्व से लंबित हैं एवं जिनका निराकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम है।

20. उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी जिले में स्थित किसी भी आरक्षी केंद्र अथवा अन्य विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग–पत्रों व परिवाद–पत्रों का संज्ञान करने में सक्षम होंगे।

21. समस्त मजिस्ट्रेटगण जेल में निरूद्ध बंदियों की उपस्थिति **वी.सी.** के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे तथा आरोपी के वारण्ट पर निम्न आशय की टीप अंकित करेंगे :–

''आरोपी को आगामी दिनांक..../...../..... को वी.सी. के माध्यम से पेश किया जाए।''

.....
हस्ताक्षर
(मजिस्ट्रेट)

22. **श्रीमती स्मृति पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजपुर के मातृत्व अवकाश के दौरान आरक्षी केन्द्र राजपुर एवं जुलवानिया एवं आबकारी वृत्त राजपुर से सबंधित आपराधिक अति आवश्यक कार्य श्री पंकज सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ एवं आरक्षी केन्द्र नागलवाडी एवं पलसुद से सबंधित आपराधिक अति आवश्यक कार्य श्री नीरज कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड देखेगें।**

23. **श्री संजोगसिंह वाघेला, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सेधंवा, सुश्री नगीना मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सेधंवा एवं श्री अजय उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया, जिला बडवानी म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब के प्रकरण उनसे सबंधित आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण, वरला, खेतिया, निवाली एवं पानसेमल से उद्भुत प्रकरणों में विचारण कर निर्णय की स्टेज पर प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी के न्यायालय की ओर प्रेषित करेंगें।**

24. इस आदेश के संबंध में किसी भी भ्रम या अस्पष्टता की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी को संदर्भित कर उसके संबंध में सुझाव/मार्गदर्शन लिया जाये।

25. यह आपराधिक कार्य विभाजन संबंधी आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत **दिनांक 11 जनवरी, 2023** से प्रभावशील माना जायेगा।

(आनंद कुमार तिवारी)
सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी, जिला बड़वानी म.प्र

(श्रीमती सीता कनोजे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बड़वानी, जिला बडवानी,म.प्र.

पृष्ठांकन कमांक /स्टेनो/2023 बडवानी दिनांक 11 जनवरी, 2023

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1– माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सम्मान सहित सादर सूचनार्थ।

2– माननीय प्रिंसीपल रजिस्ट्रार महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर की ओर सम्मान सहित सादर सूचनार्थ।

3– मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बड़वानी की ओर सम्मान सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4– मान्नीय विशेष न्यायाधीश महोदय, जिला बड़वानी।

5– मान्नीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बड़वानी।

6– मान्नीय प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, सेंधवा, जिला बड़वानी।

7– <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी–</u>बड़वानी प्रथम/बड़वानी द्वितीय/अंजड़ प्रथम/अंजड़ द्वितीय /राजपुर/सेंधवा एवं खेतिया की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।

9– कलेक्टर, बड़वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

10– पुलिस अधीक्षक, बड़वानी की ओर संबंधित थानों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

11– जिला आबकारी अधिकारी, जिला बड़वानी।

12– जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय जिला बड़वानी।

13– अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बड़वानी/अंजड़/राजपुर/सेंधवा/खेतिया।
14– मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका बड़वानी।

15– श्रम पदाधिकारी, श्रम विभाग बड़वानी।

16– नियंत्रक, नापतौल विभाग बड़वानी।

17– अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बड़वानी।

18– उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बड़वानी।

19– जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल बड़वानी।

20– प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी।

21– फाइलिंग रिसीविंग सेन्टर बड़वानी।

22– प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी की ओर सादर सूचनार्थ।

23– प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी।

(श्रीमती सीता कनोजे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बड़वानी, मध्य प्रदेश